

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:-रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-38/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/38)

1. भंवर लाल पुत्र नारायण,
2. श्रीमती अनोप पत्नी नारायण,
3. सुरेश पुत्र नारायण
4. जगदीश पुत्र नारायण
5. रामेश्वर पुत्र नारायण
6. पवन पुत्र नारायण
समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण-करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
7. श्रीमती संजू पुत्री नारायण पत्नी रामावतार, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
8. श्रीमती सरोज पुत्री नारायण, पत्नी रामचंद्र, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कालेडा, तहसील परबतसर, जिला नागौर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर।



रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2023 राजस्व वाद संख्या 61/2019.

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश साहु, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांक:- 06.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्तमान अपीलांटस ने वर्तमान रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एक राजस्व वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में आराजी खसरा नम्बर 166/2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट करीबन 50-60 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहा है। उक्त आराजी का आवंटन नियमन हेतु प्रपत्र संख्या 04 अपीलांट के पिता / दादा भैरु पुत्र सुखा कुम्हार के नाम किया गया था तथा इसी खाते में अन्य नम्बरान की अन्य व्यक्तियों को आवंटन/नियम की गई थी परन्तु उक्त आराजी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खतौनी बंदोबस्त में सप्तऋषि नाम के व्यक्ति के नाम गलत रूप दर्ज कर दिया गया। जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम करकेड़ी में पूर्व में भी कभी निवास नहीं करता तथा ना ही वर्तमान में निवास करता है इसलिए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दर्ज कर और मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 तलब की गई जिसमें वर्तमान अपीलांट का कब्जा लगभग 50-60 वर्षों से दर्शाया गया है परन्तु उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने निर्णय दिनांक 02.11.2018 को वादी का वाद डिक्री कर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर रेस्पोंडेन्ट वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने एवं खुर्द-बुर्द करने एवं अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण करने पर सख्त आमादा है इसलिए वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर निर्णय दिनांक 27.12.2023 पारित करते हुए अपीलांटस का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।




विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट करीबन 50-60 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजी आवंटन नियमन हेतु प्रपत्र सं० 4 अपीलांटस के पिता/दादा केसरा पुत्र बुद्धा बावरी के उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश क्रमांक 279-299 दिनांक 28.12.1970 की लिस्ट आवंटन मूल क्रम संख्या 9 पर आवंटन होने का इंद्राज दर्ज है, तथा इसी खाते में अन्य नम्बरान की भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटन/नियमन की गई थी। संवत् 2031, 2032 व 2033 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 से भी होती है। परन्तु उक्त आराजी को खतौनी बंदोबस्त में सप्तऋषि नाम के व्यक्ति के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम करकेड़ी में पूर्व में भी कभी निवास नहीं करता था तथा ना ही वर्तमान में निवास करता है। इसलिए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किए जाने हेतु रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज कर मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 तलब की गई जिसमें वर्तमान अपीलांट का कब्जा लगभग 50-60 वर्षों से दर्शाया गया है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपने निर्णय दिनांक 02.11.2018 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर रेस्पोंडेन्ट वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांटस को बेदखल करने एवं खुर्द-बुर्द करने एवं अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर सख्त आमादा है। उक्त आराजी को खतौनी बंदोबस्त में सप्तऋषि नाम के व्यक्ति के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम करकेड़ी में पूर्व में भी कभी निवास नहीं करता था तथा ना ही वर्तमान में निवास करता है। बल्कि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। इसलिए तहसीलदार ने वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज कर मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 तलब की गई जिसमें वर्तमान अपीलांट का कब्जा लगभग 50-60 वर्षों से दर्शाया गया है। परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने वर्तमान अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए निर्णय दिनांक 02.11.2018 पारित कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 के विरुद्ध वर्तमान अपीलांटस ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 288/2019 उनवानी भंवरलाल बनाम सरकार प्रस्तुत की। जो कि विचाराधीन है और आगामी मेशी दिनांक 28.03.2024 नियत है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वाद बहुल्यता रोकने व वाद की विषय वस्तु में परिवर्तन को रोकने के लिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 पत्रावली पर मौजूद था, जिसमें स्पष्ट अंकन है कि वाद में अंकित आराजी पर सप्तत्रयषि कौम ब्राह्मण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने जानकारी दी कि पिछले लगभग 50-60 से ग्राम करकेडी के खसरा नम्बर 166/1 (नवीन खसरा नम्बर 166) रकबा 15 बीघा पर रामचंद्र पुत्र रामबक्ष 1/2 हिस्सा, घनश्याम दत्तक पुत्र गोविन्द 1/2 हिस्सा का खसरा नम्बर 166/2 (नवीन खसरा नम्बर 1201/166) रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पर भंवरलाल, सुरेश, जगदीश, रामा(बालिग), पवन (नाबालिग), पि0 नारायण, अनोप पत्नि नारायण, नाबालिग संरक्षक माता अनोप हि0ब0 जाति प्रजापति सा0 देह का तथा खसरा नम्बर 183 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा पर पाबूराम, प्रभूराम पि0 लादूराम हि0ब0 जाति बावरी सा0 देह का कब्जा काशत है। जब अपील में अंकित आराजीयात बाबत नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण होना शेष है तथा रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त गलत अंकन का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांटस को बेदखल करने व हस्तांतरण करने पर सख्त आमादा है। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात से अपीलांटस को बेदखल करने तथा खुर्द बुर्द करने व हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। जिससे अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद का एक तरह से महत्व ही समाप्त हो गया और अगर रेस्पोंडेंट अपने मकसद में कामयाब हो गए तो अपीलांटस को सख्त हक तलफी होगी। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम करकेडी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई के खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 166/2 (नवीन खसरा नम्बर 1201/166) रकबा 06-14 बीघा राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। ग्राम करकेडी के खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 166/2 (नवीन खसरा नम्बर 1201/166) रकबा 06-14 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज होने से किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार स्वतंत्र है। अतः प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं बनता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.12.2023 में वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज है यह माना व इससे राजहित प्रभावित हो रहा है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनका खातेदारी अधिकार सिद्ध हो सके। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम करकेडी की जमाबंदी संख्या 2070-73 के अनुसार खाता संख्या 573 खसरा नम्बर पुराने 166/1 (नवीन खसरा नम्बर 166) रकबा 15-00, खसरा नम्बर 166/2 (नवीन खसरा नम्बर 1201/166) 6-14, खसरा नम्बर 183 रकबा 16-13 कुल किता 03 कुल रकबा 38-07 सप्त ऋषि वल्द कौम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम करकेडी में पूर्व में भी कभी निवास नहीं करता तथा ना ही वर्तमान में निवास करता है इसलिए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु रेस्पोजेन्ट तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद-पत्र दिनांक 23.07.2018 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद-पत्र को दर्ज कर और मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2018 तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 02.11.2018 को ग्राम करकेडी के खसरा नम्बर 166 रकबा 15-00 बीघा, खसरा नम्बर 1201/166 रकबा 6-14 बीघा व खसरा नम्बर 183 रकबा 16-13 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गयी। निर्णय में मौका रिपोर्ट तलब की गई। वर्तमान अपीलांट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 166/2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पर कब्जा लगभग 50-60 वर्षों से दर्शाया गया है। अपीलांटस मात्र उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से हैं। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेज अपने समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका खातेदारी अधिकार सिद्ध हो सके। अपीलांटस विवादित आराजी पर एक अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किये हैं कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवायचक दर्ज होने से किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र) अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

